

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

// ज्ञापन //

क्रमांक 458/रा.शा./2020

बलौदाबाजार, दिनांक 25/03/2020

प्रति,

1. समस्त स्वयंसेवी संस्थाएं,
2. प्रभारी, एनएसएस
3. प्रभारी, एनसीसी

विषय:- स्वयंसेवी संस्थाओं से आगामी 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान सहयोग के संबंध में।  
संदर्भ:- छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ क्रमांक 1-39/राजस्व/राहत/ COVID-19 /2020 रायपुर दिनांक 25.03.2020

—0—

आप सभी जानते हैं कि COVID-19 बीमारी के रोकथाम के लिए धारा 144 लागू की गई है तथा अत्यावश्यक चीजों के अतिरिक्त सभी प्रकार के परिचालन को रोक दिया गया है। ऐसी स्थिति में जनसामान्य को समस्या होगी। अतः आप में से कई लोग समाज सेवा से विभिन्न कार्य करने को उपलब्ध हो पायेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप किसी प्रकार का सहयोग दे सकते हैं, कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं, कृपया निम्नलिखित प्रपत्र में जानकारी दें :-

क्र.	संस्था का नाम	व्यक्ति का नाम	दूरभाष-मोबाईल क.	जिस वार्ड, ग्राम में काम करना चाहते हैं, उसका विवरण	कार्य का विवरण

उक्त जानकारी श्रीमती आशा शुक्ला, उप संचालक, समाज कल्याण विभाग बलौदाबाजार (मो.नं.-91098-04083) एवं श्रीमती प्रीति बंछोर, खेल अधिकारी बलौदाबाजार (मो.नं.-98066-69903) को उनके व्हाट्सएप के माध्यम से दें।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  
बलौदाबाजार-भाटापारा

पृ.क्रमांक/ 459/रा.शा./2020

बलौदाबाजार दिनांक 25/03/2020

प्रतिलिपि :-

01. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, बलौदाबाजार-भाटापारा की ओर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
02. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. बलौदाबाजार की सूचनार्थ एवं जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  
बलौदाबाजार-भाटापारा